अध्याय – 8
वन प्राप्तियाँ

अध्याय– 8
वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2014–15 में, वन विभाग के 81 ईकाईयों के अभिलेखों के नमूना जॉच में 52 प्रकरणों में राशि ₹ 199.08 करोड़ की रायल्टी की नही/कम वसूली, ब्याज/विस्तार शुल्क के अनाधिरोपण एवं अन्य अनियमितताएं परिलक्षित हुई, जो निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 8.1** में दिया गया है ।

तालिका 8.1

			(₹ करोड़ में)
स.क्र.	**विवरण**	**प्रकरणों की संख्या**	**राषि**
1.	**"मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	173.44
2.	ईमारती का जलाऊ काष्ठ में वर्गीकरण करने के कारण राजस्व हानि/अनुमानित की तुलना में इमारती काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	4	3.24
3.	अवरोध दर से कम मूल्य पर काष्ठ का नीलाम किये जाने से हानियाँ	6	0.48
4.	राजसात वनोपज के अनिवर्तित रहने से हानियॉ	7	1.34
5.	चिन्हांकित वृक्षों की कटाई नही करने से राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	4.37
6.	वन राजस्व की बकाया वसूलियॉ	8	4.40
7.	विदोहित काष्ठ के त्रृटिपूर्ण अनुमान तथा विदोहित काष्ठ के परिवहन नही होने के कारण राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	9.22
8	चिन्हांकित कूपों में वृक्षों का पातन नही करने/बांसों का अनुमान से कम विदोहन करने से राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	0.85
9.	अन्य अनियमितताएं	20	1.74
	योग	**52**	**199.08**

विभाग ने एक प्रकरण में कम आंकलन एवं अन्य कमियों की राशि ₹ 8.23 लाख को स्वीकार किया जो वर्ष 2014–15 के अवधि में लेखापरीक्षा में इंगित की गई।

"मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ" पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 173.44 करोड़ की राशि अंतर्निहित है का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

8.2 ''मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

हमने दिसम्बर 2014 से जून 2015 के मध्य, मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच किया। इसमें कार्य आयोजना के कियान्वयन नही होने, उत्पादन में कमी, वन प्राप्तियों में कमी तथा निगरानी में कमी से सम्बन्धित ₹ 173.44 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को सम्मिलित करती हुई कई कमियॉ परिलक्षित हुईं। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो को आगे चिन्हांकित किया गया है–

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 8.2.9)

वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.12)

नौ वर्षों तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलामी का कार्यान्वयन नही किया जाना।

(कंडिका 8.2.16)

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

(कंडिका 8.2.18)

कूप से प्रेषित वनोपज काष्ठागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

(कंडिका 8.2.20 तथा 8.2.21)

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

(कंडिका 8.2.23)

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.29)

काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणों का नियमित मिलान करने में कमियां थीं।

(कंडिका 8.2.19, 8.2.27, 8.2.31 तथा 8.2.32)

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर आठ वर्षो से पुनरीक्षित नही हुई।

(कंडिका 8.2.33)

8.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदश के वन 94,689 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (3,08,245 वर्ग किमी.) का 30.72 प्रतिषत है तथा देश के कुल वन क्षेत्र का 12.10 प्रतिशत है। वन आच्छादन राज्य के केन्द्रीय, पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्व देने वाले मुख्य वनोपज, काष्ठ श्रेणी में ईमारती, बांस, जलाऊ तथा खैर हैं, जबकि गैर–काष्ठ श्रेणी में, ये तेंदुपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद, चिरौंजी, महुआ के फूल तथा बीज, इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त, वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति, अधिरोपित शास्ति सहित क्षतिपूर्ति वनीकरण पर पर्यवेक्षण शुल्क, वन क्षेत्र से परिवहित खनिज पर अभिवहन शुल्क, इत्यादि भी वन प्राप्तियों के स्रोत हैं। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ अकाष्ठ उत्पाद के व्यापार में लगा हुआ है, जबकि काष्ठ उत्पाद का व्यापार विभागीय तौर पर नीलाम तथा उपभोक्ताओं को निस्तारी[1] विक्रय द्वारा किया जाता है। वन प्राप्ति, शासन के गैर–कर राजस्व का एक मुख्य स्रोत है, अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, यह राज्य के कुल कर भिन्न राजस्व का 9.34 तथा 14.63 प्रतिशत के मध्य विस्तारित था।

8.2.2 वन के प्रबन्धन हेतु प्रणाली

वन विभाग वनों का प्रबन्धन अपने विभिन्न सामान्य तथा उत्पादन वन मण्डलो के द्वारा करता है। वन मण्डल, परिक्षेत्रो में उप विभाजित हैं जो आगे वृत्तों में विभाजित हैं। कक्ष, इसके प्रबन्धन हेतु वनों की लघुत्तम ईकाई है, जबकि कूप एक चिन्हांकित वन क्षेत्र होता है जहॉ विदोहन किया जाना होता है।

सामान्य वन मण्डल विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे, सुरक्षा, वनो का संवर्धन, पातन हेतु वृक्षों का चिन्हांकन, इत्यादि में लगे होते है तथा उत्पादन वन मण्डल पातन, परिवहन तथा वनोपज के विक्रय में लगे होते हैं। कम उत्पादन के वन क्षेत्रो में, सामान्य वन मण्डल उत्पादन वन मण्डलो के भी कार्य सम्पादित करते हैं।

वनों का प्रबन्धन, कार्य आयोजना के प्रावधानो के अनुसार किया जाता है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना तथा वन भू–अभिलेख) के शीर्षता में वन विभाग के पृथक कार्य आयोजना वन मण्डलो द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वन मण्डल हेतु 10 वर्ष के लिए अनुमोदित किया जाता है। कार्य आयोजनाओं में, वन वर्धनिक[2] कार्यो के प्रबन्धन हेतु विस्तृत योजना होती है, जिसमें कार्यवृत्तों का बनाना, कूपों का चिन्हांकन, वृक्षों का पातन तथा विदोहन उपरान्त उपचार यथा झाड़ियों की सफाई तथा पौधारोपण इत्यादि शामिल होते हैं।

8.2.3 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के समग्र नियंत्रण के अधीनं विभाग कार्य करता है, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष हैं एवं विभाग के समग्र प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग का पदानुक्रम तथा उनके उत्तरदायित्व **चार्ट 1** में दर्शाये गये हैं:

1 आसपास के रहवासियों को सस्ते दरों पर जलाऊ लकड़ी, बांस तथा बल्ली प्रदान करना

2 वन वर्धनिक कार्य, वन संसाधन के पूर्ण विस्तार के उद्देष्य से स्थापित, विकास, संगठन तथा वन के वनस्पतियों के गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला एवं विज्ञान है।

चार्ट 1: संगठनात्मक संरचना

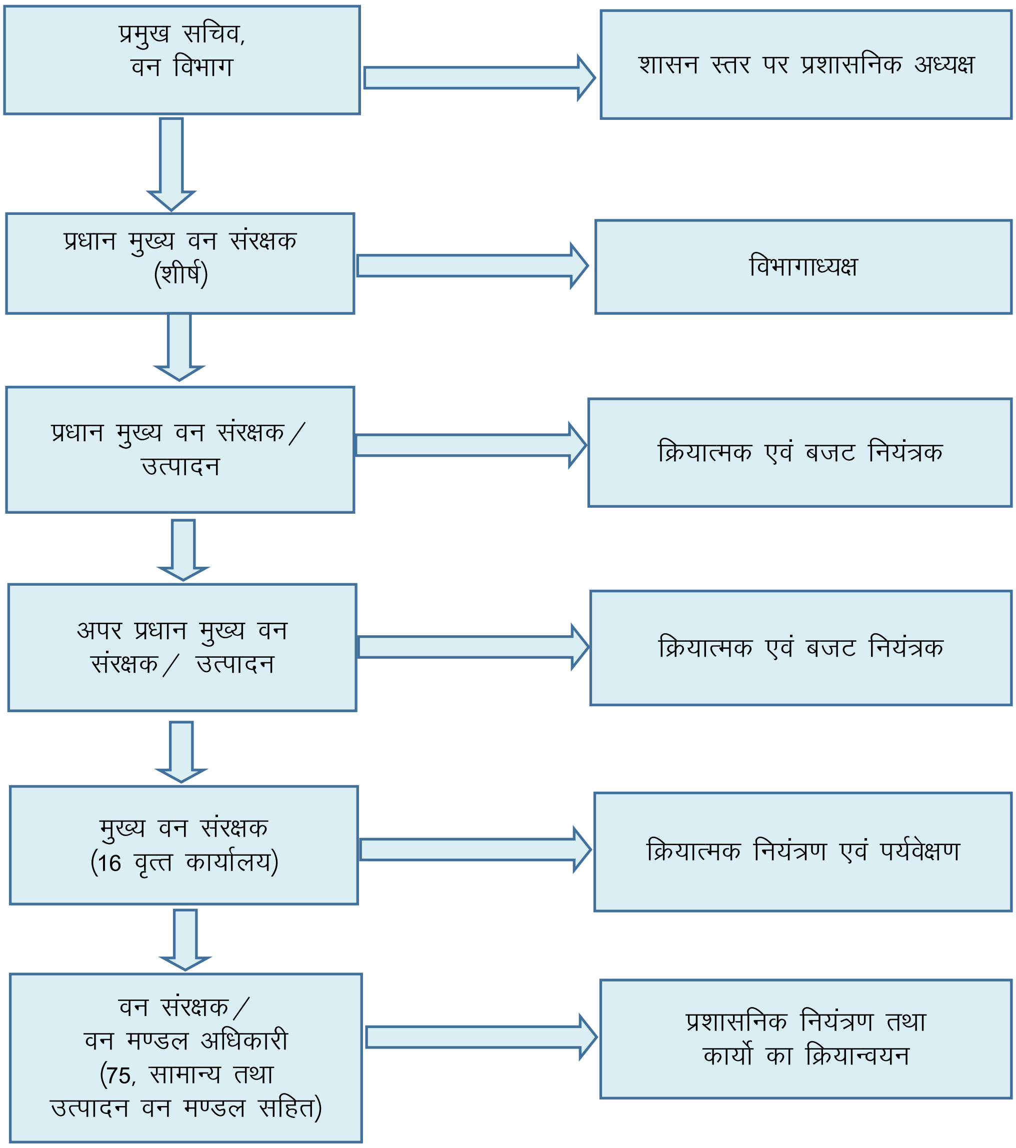

क्षेत्रीय/सामान्य/उत्पादन वन मण्डलो के प्रभारी वन संरक्षक/ वन मण्डल अधिकारी होते है, जिनकी उप वन मण्डल अधिकारी तथा परिक्षेत्र अधिकारी सहायता करते हैं। परिक्षेत्र अधिकारी की सहायता उप परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल तथा वनरक्षक करते हैं।

8.2.4 लेखापरीक्षा विस्तार तथा कार्य प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 से जून 2015 के अवधि के मध्य किया गया तथा 75 वन मण्डलों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के आधार पर चयनित 18 वन मण्डलों[3] तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अवधि 2010–11 से 2014–15 से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया ।

---

[3] छः सामान्य वन मण्डल– बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, बैतुल उत्तर, छिन्दवाड़ा पश्चिम, तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण; पॉच अन्य सामान्य वन मण्डल (उत्पादन कार्यो में भी लगे हुए)– सीहोर, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली, तथा कटनी; सात उत्पादन वन मण्डल– खण्डवा, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर, हरदा तथा सिवनी

8.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित से निगमित मानदण्डों पर आधारित था:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969;
- मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनियम) काष्ठ नियम, 1973; वन उपजों का व्ययन (निर्वर्तन) नियम, 1974; मध्य प्रदेश वित्त संहिता; मध्य प्रदेश कोषालय संहिता तथा मध्य प्रदेश वन वित्तीय संहिता; तथा
- शासन तथा विभाग द्वारा जारी अनुदेश तथा आदेश।

8.2.6 लेखपरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया कि:

- कार्य आयोजना में प्रावधानित चिन्हांकन, पातन तथा निस्सारण की गतिविधियॉ मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावी ढंग से की गईं;
- राजस्व को महत्तम करने हेतु वन प्राप्तियों का आंकलन तथा संग्रहण दक्षतापूर्ण किया गया; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा लेखा तंत्र दक्ष तथा प्रभावी थे।

8.2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध करने में सहयोग के लिए वन विभाग का आभारी है। प्रमुख सचिव से लेखापरीक्षा विस्तार तथा कार्य प्रणाली 27 मार्च 2015 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शासन को 27 जूलाई 2015 को जारी किया गया। वन विभाग के प्रमुख सचिव तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से 12 अक्टूबर 2015 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा की गई। शासन के उत्तर प्राप्त हुए (नवम्बर 2015) तथा समुचित रूप से सम्मिलित किया गया। शासन/विभाग के अभिमत समुचित रूप से निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किये गये। सभी सात अनुषंसायें विभाग ने स्वीकार किये थे।

8.2.8 वन प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 128 के अनुसार, पूर्व वर्ष के प्राप्तियों तथा आगामी वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियों के आधार पर, वन मण्डल अधिकारी प्राप्तियों के वार्षिक बजट अनुमान तैयार करते हैं। ये वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा अन्ततः वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त, विगत पाँच वर्ष में प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन	प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)	कर भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों का प्रतिषत भाग
2010–11	1,000.00	836.61	(–) 163.39	(–) 16.34	14.63
2011–12	1,027.32	878.81	(–) 148.51	(–) 14.46	11.74
2012–13	969.04	910.38	(–) 58.66	(–) 6.05	13.00
2013–14	1,100.00	1,036.80	(–) 63.20	(–) 5.75	13.46
2014–15	1,250.23	968.77	(–) 281.46	(–) 22.51	9.34
योग	**5,346.59**	**4,631.37**			

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे तथा बजट अनुमान)

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, वन विभाग ने बजट अनुमान 5,346.59 करोड़ के विरूद्ध विभिन्न उप शीर्षो यथा काष्ठ तथा अन्य अन्य वनोपज का विक्रय, सामाजिक तथा फार्म वानिकी से प्राप्तियाँ, काष्ठ, बांस का राजकीय व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत 4,631.37 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया। वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2014–15 में, बजट अनुमान से क्रमशः 16.34, 14.46 तथा 22.51 प्रतिशत का विचलन था जो इंगित करता है कि अनुमान अवास्तविक थे । वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में वास्तविक प्राप्तियों में विचलन क्रमशः घट कर 6.05 तथा 5.75 प्रतिशत हो गया।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कर भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों का हिस्सा 14.63 प्रतिशत घट कर 9.34 प्रतिशत हो गया।

शासन ने उत्तर प्रदान नही किया (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वनोपज में कमी

8.2.9 काष्ठ के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

सामान्य वन मण्डल द्वारा विदोहन के लिए बकाया कूपों का चिन्हांकन तथा चिन्हांकित कूपों से प्राप्त होने वाले ईमारती/जलाऊ काष्ठ का अनुमान किया जाता है। मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा जारी किये गये अनुदशों (जनवरी 1984) के अनुसार, ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ के वास्तविक एवं अनुमानित उत्पादन में 10 प्रतिशत का विचलन अनुमत्य है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आगे स्पष्ट किया (मार्च 2004) कि अधिक विचलन के कारणों की जॉच एवं सम्मिलान सामान्य एवं उत्पादन वन मण्डल दोनो के अधिकरियों के द्वारा विदोहन के समय संयुक्त निरीक्षण कर किया जाये।

हमने 12 वन मण्डलों के विदोहन प्रगति प्रतिवेदन एवं विदोहन से संबंधित अन्य अभिलेखो की जॉच किया तथा पाया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान आठ

वन मण्डलों[4] के 2900 कूपों में से 193 कूपो में अनुमानित उत्पादन 37119.563 घ.मी. ईमारती एवं 38190 जलाऊ चट्टों के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन 24896.915 घ.मी. ईमारती एवं 26249 जलाऊ चट्टों का हुआ। विभिन्न कूपों में उत्पादन में कमियॉ 11 से 85 प्रतिशत के मध्य विचलित हुआ। इन कूपों में संयुक्त निरीक्षण किया गया हो, को स्थापित करने हेतु अभिलेखों में कुछ भी नही पाया गया। उत्पादन में कमियॉ ₹ 27.08 करोड़ के राजस्व हानि[5] में परिणित हुई।

आगे, सीहोर (सामान्य) वन मण्डल की कार्य आयोजना, 62 कूपों में प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत उपचार प्रावधानित किया। अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान, इन 62 कूपों में से 57 कूपों में 17,995.850 घ.मी. ईमारती काष्ठ के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन 7,330.332 घ.मी. ईमारती काष्ठ प्राप्त हुआ, जो विभिन्न कूपों में 15 से 95 प्रतिशत तक अनुमान से कम था। ईमारती काष्ठ का उत्पादन 5488.818 घ.मी.[6] कम रहा। यह ₹ 11.50 करोड़ के राजस्व हानि में परिणित हुआ।

आगे, आठ वन मण्डलों[7] के अन्य 426 कूपों में ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ के अनुमानित उत्पादन 135306.105 घ.मी. एवं 63024 चट्टे था जिसके विरूद्ध वास्तविक उत्पादन क्रमशः 103025.66 घ.मी एवं 106138 चट्टे का हुआ। यद्यपि समग्र उत्पादन 10 प्रतिशत की कमी के सीमा के अन्दर था, ईमारती काष्ठ का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम था जिसकी क्षतिपूर्ति जलाऊ काष्ठ के उत्पादन में वृद्धि से हुई, जो ₹ 30.65 करोड़ की हानि में परिणित हुई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि अनुमानित उत्पादन को संयुक्त निरीक्षण में पुनरीक्षित किया गया तथा वास्तविक उत्पादन 10 प्रतिशत सीमा के अन्दर था। हरदा (उत्पादन) तथा डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में यह बताया गया कि ईमारती तथा जलाऊ काष्ठ का उत्पादन निर्भर करता कि वृक्ष हरा, मृत या रोगग्रस्त था तथा सामान्य वन मण्डल ने वृक्षो को चिन्हांकित किया तथा फार्म फैक्टर के आधार पर उत्पादन अनुमानित किया जो 10 प्रतिशत से अधिक विचलित हो सकता था। सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में यह बताया गया कि विभिन्न कूपों में वास्तविक उत्पादन, पुनरीक्षित अनुमानित उत्पादन से 10 प्रतिशत कम के साथ–साथ अधिक भी था। अन्य छः वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ उत्तर स्वीकार्य नही है जैसा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों (मार्च 2004) के अनुसार अनुमान के पुनरीक्षण हेतु संयुक्त निरीक्षण विदोहन के दौरान किया जाना था, जबकि संयुक्त निरीक्षण विदोहन के उपरान्त किया गया जो उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नही होता है। हरदा (उत्पादन) तथा डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन वृक्ष की अवस्था यथा ईमारती, अर्द्ध ईमारती तथा जलाऊ पर निर्भर करता है, जो चिन्हांकन पंजी में दिया गया है तथा उत्पादन का अनुमान इसी पर आधारित

---

[4] खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), सिवनी (उ) तथा कटनी (सा)

[5] हानि की गणना 10 प्रतिशत अनुमत्य विचलन को घटाकर किया गया है। अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान चयनित वनमण्डलो में विक्रित मिश्रित काष्ठ के औसत नीलाम दर तथा सम्बन्धित प्राप्त राशि (कुल राशि को कुल मात्रा से विभाजित करके) तथा जलाऊ हेतु निस्तार दर का उपयोग कर राशि निकाली गई है।

[6] 5488.818 (कम उत्पादन) =17995.850 (अनुमानित उत्पादन)– 7330.332 (वास्तविक उत्पादन)– 3377.115 (वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित सामग्री)– 1799.585 (अनुमानित उत्पादन का 10 प्रतिशत)

[7] खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), सिवनी (उ) तथा हरदा (उ)

है। सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण उन्ही कूपों से संबंधित है जहॉ विचलन 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।

8.2.10 बांस के कम उत्पादन से राजस्व हानि

बांस का अनुमान से कम उत्पादन हुआ तथा व्यापारिक बांस के कम उत्पादन को औद्योगिक बांस के उत्पादन में वृद्धि के द्वारा क्षतिपूर्ति किया गया, ₹ 10.37 करोड़ के हानि में परिणति हुई।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने स्पष्ट किया (जून 1995) कि बांस विदोहन के प्रकरण में अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में किसी विचलन की अनुमति नही है।

विदोहन प्रगति प्रतिवेदन तथा पातन के अन्य अभिलेखों में बांस के विदोहन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईः

8.2.10.1 बारह में से छः वन मण्डलों[8] में, विभिन्न कूपों में बांस के अनुमानित उत्पादन (19950.736 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 27280.092 नोश्नल टन व्यापारिक) के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन (12352.530 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 19146.094 नोश्नल टन व्यापारिक) में कमी 10 से 100 प्रतिशत अन्तराल के मध्य रहा, जो ₹ 9.68 करोड़ के राजस्व हानि[9] में परिणित हुई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) तथा हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि वन मण्डल स्तर पर वास्तविक उत्पादन अनुमान से अधिक था। मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में शासन ने बताया कि बांस कूपों के प्रकरण में सामान्य वन मण्डल का अनुमान बाध्यकारी सीमा नही थी तथा वन वर्धनिक कार्यो के दौरान आवश्यक बांसो का विदोहन किया गया तथा सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में बताया कि वन मण्डल का समग्र उत्पादन (औद्योगिक एवं व्यापारिक बांस) 10 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा के अन्दर था। अन्य दो वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों (जून 1995 एवं जनवरी 2005) के अनुरूप नही हैं, जो कथन करता है कि अनुमानित उत्पादन के तुलना में वास्तविक उत्पादन में विचलन कूपवार लिया जाना था।

8.2.10.2 दो वन मण्डलों, खण्डवा (उत्पादन) तथा बालाघाट उत्तर (उत्पादन) में यद्यपि 18 कूपों में औद्योगिक एवं व्यापारिक बांस का समग्र उत्पादन, अनुमानित उत्पादन 4653.924 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 3916.776 नोश्नल टन व्यापारिक बांस से बढ़ कर 7939.649 नोश्नल टन एवं 2308.531 नोश्नल टन हो गया। इस प्रकार, व्यापारिक बांस के उत्पादन में अनुमान की तुलना में चार से 100 प्रतिशत की कमी से शासन को राशि ₹ 69.49 लाख की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि औद्योगिक बांस के उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापारिक बांस के उत्पादन में कमी के पारिस्थितिकी एवं जैविक कारण हैं, बन्दर प्रथम वर्ष के बांस (करला) को नष्ट कर देते है। खण्डवा (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि चिन्हांकन एवं आंकलन तृतीय वर्ष में किया जाता है (विदोहन से एक वर्ष पूर्व), इस प्रकार, प्रथम वर्ष के घटना आंकलन में सम्मिलित रहते है।

---

[8] खण्डवा (उ), मण्डला (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) सिवनी (उ), तथा कटनी (सा)

[9] लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना, औद्योगिक बांस के लिए स्वीकृत दर तथा व्यापारिक बांस के औसत नीलाम दर पर आधारित है।

8.2.11 अवैध कटाई के कारण राजस्व हानि

विदोहन हेतु कूपों के चिन्हांकन के दौरान 14 से 72 प्रतिशत वृक्षो के स्थान पर ठूँठ पाये गये जबकि प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन (पी.ओ.आर.) पंजीकृत किया जाना नही पाया गया, ₹ 6.51 करोड़ के हानि की परिणित हुई।

शासन ने वन रक्षक से वन मण्डल अधिकारी तक के सभी पदाधिकरियों के लिए अवैध कटाई के प्रकरणों में उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने हेतु निदश (फरवरी 2004) जारी किये तथा यदि, उनके पक्ष में त्रुटि होती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान किये हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित (मार्च 2005) किया कि परिक्षेत्र सहायक चिन्हांकन पुस्तिका के गोशवारा में कूप में ठूँठों के उपलब्धता तथा उनके उपलब्धता के कारण के बारे में टीप देंगें कि इन ठूँठों हेतु पी.ओ.आर. पंजीकृत किये गये हैं अथवा नही। परिक्षेत्र अधिकारी इसके सत्यापन के संबंध में टीप तथा उप वन मण्डल अधिकारी इस पर सहमति देंगें।

हमने नौ वन मण्डलों[10] में देखा गया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 127 कूपों में पातन हेतु चिन्हांकित 129650 वृक्षों में से 45539 वृक्ष ठूँठ या पोलार्ड[11] थे, जो इन कूपों में कुल चिन्हांकित वृक्षों का 14 से 72 प्रतिशत तक के मध्य विचलित था। उपरोक्त किसी भी प्रकरण में चिन्हांकन पुस्तिका के गोशवारे में पी.ओ.आर. पंजीकृत किये जाने सम्बन्धी टीप नही पाये गये। इतने बड़े स्तर पर अवैध कटाई होने से, शासन को ₹ 6.51 करोड़ की हानि परिणित हुई **(परिषिष्ट XXVIII)**। आगे, लेखापरीक्षा में देखे गये इन त्रुटियों हेतु कर्मचारियों/अधिकरियों के विरूद्ध कोई जॉच या कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि सामान्य वन मण्डल द्वारा चिन्हांकन पुस्तिका में ठूँठों तथा पोलार्ड पर कार्यवाही की प्रविष्टि नही की गई। डिंडोरी (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में शासन ने बताया कि 166 कटे वृक्षों के पी.ओ.आर. पंजीकृत थे तथा शेष 508 वृक्ष आंधी में गिरे थे। मण्डला (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में शासन ने बताया कि कार्यवाही हेतु सामान्य वन मण्डल उत्तरदायी था। सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में यह बताया कि सम्बन्धित कर्मचारियों से वन अपराध प्रकरण पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गये थे। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सामान्य वन मण्डल के साथ चिन्हांकन का पुनरीक्षण नही किया गया था। डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योंकि चिन्हांकन पुस्तिका में पी.ओ. आर. तथा आंधी में गिरने सम्बन्धी प्रविष्टि नही थी, उत्तर के पक्ष में अभिलेख भी उपलब्ध नही कराये गये। सिंगरौली (सामान्य) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उत्तर के पक्ष में पी.ओ.आर. पंजीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये।

---

10 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सिंगरौली, कटनी तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर

11 ठूँठ, अवैध काटे गये वृक्ष के 1 मी. तक के अवशेष तथा पोलार्ड, अवैध काटे गये वृक्ष के 1 मी. से 2 मी. तक के अवशेष होते हैं

वन प्राप्तियों की कम/वसूली नही होना

8.2.12 अभिवहन शुल्क की कम/वसूली नही होना

वन क्षेत्र से उत्खनित खनिजों के परिवहन हेतु अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली किया गया।

मध्य प्रदेश शासन ने वन भूमि से खनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में निर्देश (मई 2001) जारी किये, जिसके अन्तर्गत पट्टाधारी खनिज विभाग को देय रायल्टी के साथ, कोयला, चूना पत्थर, इत्यादि पर ₹ सात प्रति मैट्रिक टन की दर से अभिवहन शुल्क का भुगतान करेगा। पट्टाधारी, खनिज विभाग द्वारा अनुमोदित सभी मासिक/अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन, वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। समय–समय पर खनिज विभाग अभिवहन शुल्क के वसूली से सम्बन्धित अभिलेख वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करायेगा; उसके उपरान्त अभिवहन शुल्क वन विभाग के राजस्व शीर्ष– 0406 में समायोजित किया जायेगा।

हमने दो सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली तथा सीधी में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 में, दो प्रकरणों[12] में 1.75 मैट्रिक टन खनिज का परिवहन किया गया, जैसा कि खनिज विभाग के अभिलेखों से देखा गया, पट्टाधारियों पर विभाग को ₹ 12.28 करोड़ के अभिवहन शुल्क भुगतान की देनदारी निर्मित हुई। इन दो प्रकरणों में पट्टाधारियों ने, मासिक प्रतिवेदनो के माध्यम से 69.45 लाख मैट्रिक टन खनिज का परिवहन घोषित किया, जबकि अभिवहन शुल्क के एवज में राशि ₹ पॉच लाख जमा किये। पट्टाधारियों के कथन के आधार पर, विभाग ने इन पट्टाधारियों के विरूद्व अवशेष ₹ 4.81 करोड[13]. की मॉग जारी किया।

आगे, पट्टाधारी द्वारा खनिज विभाग को खनिज की मात्रा जिसके लिए रायल्टी का भुगतान किया गया था, के मिलान का कोई तंत्र वन विभाग में नही है। इस प्रकार के तंत्र के अनुपस्थिति में, 1.06 करोड़ मैट्रिक टन खनिज का परिवहन वन विभाग के संज्ञान में नही आया तथा परिणामतः ₹ 7.42 करोड़ की वसूली हेतु मॉग भी जारी नही किया गया (नवम्बर 2015)। इस प्रकार, 1.06 करोड़ मैट्रिक टन की कम घोषणा तथा ₹ 12.23 करोड़ के अभिवहन शुल्क की कम वसूली हुई।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन के दौरान में बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रकरण में जॉच की जायेगी तथा खनिज विभाग से विषय पर चर्चा किया जायेगा। शासन ने सीधी (सामान्य) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि मझगॅवा विस्तार चूना पत्थर खदान से सम्बन्धित ₹ 23.68 लाख के अभिवहन शुल्क की वसूली की जा चुकी थी तथा अवशेष राशि शीघ्र वसूल कर ली जायेगी।

हम अनुशंसा करते है कि खनिज विभाग के साथ वन भूमि से उत्खनित तथा परिवहनित मात्रा के मिलान के तंत्र को सशक्त किया जाये।

[12] सासन अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड के मुहेर–अमरोली कोयला खदान, सिंगरौली (₹ 4.36 करोड़) तथा जयप्रकाश एसोसिएट प्रा. लिमिटेड की मझगांवा विस्तार चूना पत्थर खदान, सीधी (₹ 0.47 करोड़)

[13] 69.45 लाख मै.टन (घोषित परिवहन) x ₹ 7 प्रति मै.टन– ₹ 5.00 लाख (जमा राशि) = ₹ 4.81 करोड़ (बकाया)

8.2.13 वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का कम आंकलन तथा वसूली

एक सौ अड़तालिस वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज हेतु ₹ 12.07 लाख क्षतिपूर्ति की कम वसूली की गई।

हमने 11 सामान्य वन मण्डलों में से सात[14] में देखा कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान निराकृत 148 प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज का प्राक्कलित मूल्य ₹ 7.39 लाख था। जबकि, अपराधियों के विरूद्ध अपराध प्रकरण ₹ 14.85 लाख के स्थान पर ₹ 2.78 लाख की वसूली कर अभिसंधानित किये। यह, भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें उल्लेख है कि वन मण्डल अधिकारियो तथा उप वन मण्डल अधिकारियों अभिसंधानित वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई राशि वनोपज के मूल्य के दोगुने से कम नही होनी चाहिए। यह, क्षतिपूर्ति के ₹ 12.07 लाख के कम आंकलन तथा वसूली में परिणित हुआ (**परिशिष्ट XXIX**)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि उत्तर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2.14 क्षतिपूर्ति वनीकरण में पर्यवेक्षण शुल्क का अधिरोपण नही करना

क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं में उपयोगकर्ता संस्थाओं से राषि ₹ 67.59 लाख पर्यवेक्षण शुल्क वसूल नही किया गया तथा पॉच अन्य प्रकरणों में पर्यवेक्षण शुल्क के एवज् में प्राप्त राशि ₹ 5.45 करोड़ शासकीय राजस्व के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा किया गया।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (दिसम्बर 2004) कि शासकीय विभागों को छोड़कर, क्षतिपूर्ति वनीकरण के परियोजना लागत की 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क उपयोगकर्ता संस्था पर अधिरोपित किया जायेगा तथा राजस्व शीर्ष में जमा किया जायेगा।

हमने दो सामान्य वन मण्डलों, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी में देखा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में ₹ 6.76 करोड़ की क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजना तैयार किया गया। इन क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोगकर्ता संस्था पर राशि ₹ 67.59 लाख पर्यवेक्षण शुल्क अधिरोपित किया जाना था, जिसकी न तो मॉग की गई न ही संग्रहित किया गया। इस प्रकार, शासन ₹ 67.59 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

आगे, देवास, सिंगरौली, सीधी तथा कटनी वन मण्डलों के चार भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में उपयोगकर्ता संस्था से ₹ 5.45 करोड़ पर्यवेक्षण शुल्क के एवज् में वसूल किया गया। यह राशि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व शीर्ष '0406' के स्थान पर कैम्पा[15] निधि में जमा किया गया। इस प्रकार, शासन राशि ₹ 5.45 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए, निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि त्रुटि सुधार किया जायेगा, जबकि, पर्यवेक्षण शुल्क के वसूली के संदर्भ में विशिष्ट उत्तर नही दिया गया।

---

14 सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, सिंगरौली, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

15 कैम्पा, क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी संस्था है

वनोपज का निर्वर्तन

8.2.15 औद्योगिक बांस के विक्रय में कम प्राप्ति

विगत वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से 30 से 58 प्रतिशत कम पर औद्योगिक बांस के विक्रय तथा स्थानीय नीलाम के विकल्प को नही अपनाने से राषि ₹ 2.38 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 2012) कि औद्योगिक बांस का निर्वर्तन मुख्यालय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/ मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को उच्चतम दरों की बोलियों को स्वीकार करने की शक्तियॉ प्रदान की गई। आगे, यह आदेश प्रावधान करता है कि वे लॉट, जिनके लिए बोलियॉ प्राप्त नही हुई या अवरोध मूल्य से कम प्राप्त हुई, वृत्त प्रभारी मुख्य वन संरक्षकों/वन मण्डलों के प्रभारी वन मण्डल अधिकारियों द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन किया जायेगा। इस उद्देष्य हेतु, इन मुख्य वन संरक्षकों/वन मण्डल अधिकारियों के पास नीलाम द्वारा बांस निर्वर्तन की वही शक्तियॉ होंगी, जो काष्ठ विक्रय में होती हैं।

हमने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अभिलेखों में देखा कि औद्योगिक बांसों के 16 लॉटों हेतु आमंत्रित प्रथम निविदा (जनवरी 2014) में सात लॉटों हेतु निविदायें अवरोध मूल्य से कम प्राप्त हुईं जबकि शेष नौ लॉटों हेतु निविदायें प्राप्त नही हुईं। इन लॉटों हेतु आमंत्रित द्वितीय निविदा में, 14 लॉटों हेतु मात्र एक निविदायें प्राप्त हुईं जबकि शेष लॉटों हेतु दो से तीन निविदायें प्राप्त हुईं। इस प्रकार प्राप्त बोलियॉ, अवरोध मूल्य से 30 से 58 प्रतिशत तक कम थीं। यद्यपि, वन मण्डल स्तर पर नीलाम के विकल्प को नही अपनाया गया तथा औद्योगिक बांस अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय किया गया। यह ₹ 2.38 करोड़ के कम प्राप्ति में परिणित हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि उत्तर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2.16 ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना

नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

मध्य प्रदेश शासन ने मैनुअल निविदा व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर इलेक्ट्रानिक निविदा व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु अनुदेश जारी किये गये (सितम्बर 2006)। ई–नीलाम मंच तैयार करने हेतु, नेक्स्ट टेन्डर्स (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया (मई 2007)।

मध्य प्रदेश शासन ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक तकनिकी समिति का गठन किया (जूलाई 2009), जिसे वर्तमान नीलाम प्रक्रिया में संशोधन के साथ साथ अभिकरण के चयन पर अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करनी थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने ई–नीलाम तंत्र को रूपरेखित करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2010), जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2010)। इसी दौरान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने एन.आई.सी. को सूचित किया (फरवरी 2012) कि विभाग नही चाहता था कि वे अप्लीकेशन विकसित करें तथा वन विभाग अपना अप्लीकेशन स्वयं विकसित करेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि दो विकल्पों – एन.आई.सी. द्वारा विकसित तंत्र

तथा व्यवसायिक सेवा प्रदाता द्वारा विकसित तंत्र का उपयुक्तता अध्ययन किया जा रहा है तथा इसके उपरान्त ही ई–नीलाम के क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जायेगा।

इन गतिविधियों पर सितम्बर 2015 तक ₹ 19.95 लाख के व्यय किये जाने के उपरान्त, एक सुनिश्चित समयावधि जब तक कि ई–नीलाम का क्रियान्वयन किया जायेगा देने की स्थिति में विभाग नही था तथा मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशों से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त ई–नीलाम का क्रियान्वयन नही किया जा सका। इस प्रकार, नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य की पूर्ति नही किया जा सका।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि ई–नीलाम हेतु मूलभूत ढांचा की कमी के कारण इसका क्रियान्वयन कुछ और समय लेगा। यद्यपि, निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रमुख सचिव ने ई–नीलाम से सम्बन्धित लाभों पर विचार करते हुए वन विभाग के पदाधिकारियों को ई–नीलाम की ओर संक्रमण के कार्य को त्वरित करने का अनुदेश दिया।

8.2.17 नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी

द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण तथा उसके हस्ताक्षर अभिलेखित नही किये गये तथा वन संरक्षक की उपस्थति सुनिश्चित नही किये जाने के कारण नीलामी प्रक्रिया में पारदर्षिता की कमी रही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने काष्ठाागार में काष्ठ नीलाम में पालन किये जाने हेतु प्रक्रिया के सन्दर्भ में कुछ निर्देश जारी (जून 2008) किये गये थे। यह अनुदेश दिया गया कि नीलामी के समय, वन संरक्षक निश्चित उपस्थित रहेंगे, जिन काष्ठागारों में नियमित शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहॉ नीलामी प्रक्रिया को आडियो तथा विडियोग्राफ करेंगे तथा नाम द्वितीय बोलीदार का नाम एवं हस्ताक्षर बीड पत्रक में अभिलेखित करेंगे।

हमने सभी 11 वन मण्डलों[16] में देखा कि द्वितीय उच्चतम बोली तथा इसके बोलीदार के नाम एवं हस्ताक्षर किसी भी बीड पत्रक में अभिलेखित नही था। इस प्रकार, नीलामी में पारदर्शिता सुनिश्चित नही किया गया। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से वन संरक्षक के उपस्थिति की पुष्टि नही किया जा सका, यद्यपि, अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कुल 231517 लाटों का विक्रय किया गया तथा राशि ₹ 2071.53 करोड़ प्राप्त किया गया।

शासन ने सात वन मण्डलों[17] के सन्दर्भ में बताया कि द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण एवं नाम प्राप्त नही किये जा सके क्योंकि नीलाम के दौरान कम समय में लम्बी प्रक्रिया का पालन किया जाना था; भविष्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा; पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु नीलामों की विडियोग्राफी की गई थी। अन्य चार वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

तथ्य यथावत बना रहा कि वन संरक्षक के उपस्थिति तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण के सन्दर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुदेशों का पालन नही किया गया।

---

16 सीहोर (सा), खण्डवा (उ), ग्वालियर (सा), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

17 खण्डवा (उ), सीधी (सा), छिन्दवाड़ा (उ), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

8.2.18 वनोपज का सामयिक निर्वर्तन नही करने से राजस्व की हानि

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

मध्य प्रदेश वनोपज तथा काष्ठ का निर्वर्तन नियमावली, 1974 के नियम 114 अ के अनुसार, कटे काष्ठ तथा बांस का उपयोगी जीवनकाल क्रमशः पॉच एवं दो वर्ष है। अतः काष्ठागार में भण्डार किये गये काष्ठ तथा बांस का निर्वर्तन उनके गुणवत्ता में ह्मास से बचने तथा महत्तम विक्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु समय से करना चाहिए।

वनोपज के अनिवर्तन में देखी गयीं कमियॉ नीचे उल्लेखित हैं:

8.2.18.1 हमने 18 वन मण्डलों[18] में से छः वन मण्डलों में देखा कि एक से चार वर्ष तक की अवधि के मध्य के 1094.414 घ.मी. काष्ठ के लट्ठे, 1617.835 घ.मी. तथा 39220 नग बल्ली, 0.869 घन मीटर चिरान तथा 69 नोश्नल टन बांस निर्वतन हेतु लम्बित थे तथा उनका अवसान निकट आ रहा था। इस प्रकार, काष्ठ तथा बांस के गुणवत्ता में ह्मास के कारण अनिर्वर्तन के जोख़िम के साथ ₹ 6.93 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल में अवशेष 42.712 घ.मी. काष्ठ का निर्वर्तन किया गया तथा खण्डवा (उत्पादन) वन मण्डल में निर्वर्तन हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अन्य चार वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। उत्तर सत्य नही है क्योकि बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल में निर्वर्तन हेतु शेष काष्ठ की मात्रा 194.593 घ.मी. थी।

8.2.18.2 हमने 11 में से छः सामान्य वन मण्डलों[19] के काष्ठागारों में देखा कि 1982 से 2015 तक की अवधि से सम्बंधित न्यायालय में लम्बित 376 प्रकरणों में अभिगृहित 151. 186 घ.मी. काष्ठ अनिर्वर्तित पड़ी थी। यद्यपि, भारतीय वन अधिनियम[20] के धारा 58 के प्रावधानों के अन्तर्गत इन प्रकरणों में विभाग ने न्यायालय में निर्वर्तन के आदेश हेतु आवेदन नही किया। परिणामस्वरूप, पॉच वर्ष से अधिक पुरानी हो होने के कारण 38. 676 घ.मी. काष्ठ अपना उपयोगी जीवन पूर्ण करने से ₹ 8.10 लाख की हानि में परिणित हुई। इसके अतिरिक्त, अवशेष 112.51 घ.मी. काष्ठ जो अपनी उपयोगी जीवनकाल पूर्ण करने के निकट थी, अनिर्वर्तित पड़ी थी, ₹ 10.69 लाख के हानि की सम्भावना है।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.18.3 ग्वालियर (सामान्य) वन मण्डल में 2004–05 में 11 लॉट बनाये गये। इन लॉटों का अवरोध मूल्य दिसम्बर 2006 में ₹ 6.63 लाख निर्धारित किया गया तथा इसके उपरान्त नवम्बर 2007 से मार्च 2010 तक तीन बार नीलाम में रखा गया। इन लॉटों को विक्रित नही किया जा सका तथा वनोपज सड़–गल गया (दिसम्बर 2012)।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज में क्षय से होने वाले हानि से बचने हेतु, न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर वनोपज का निर्वर्तन अतिशीघ्र

---

18 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, वन मण्डल अधिकारी (उ) खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

19 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर खण्डवा, देवास, सिंगरौली, तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण

20 भारतीय वन अधिनियम के धारा 52 के अन्तर्गत, किसी अभिगृहित सामग्री, जो त्वरित तथा अधिक क्षयशील है, के विक्रय हेतु दण्डाधिकारी निर्देशित कर सकते हैं

करना चाहिए तथा नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई–नीलाम तंत्र का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाये।

8.2.19 काष्ठ लेखा नही बनाया जाना

काष्ठ लेखों का तैयार करना तीन माह से 38 वर्ष 11 माह तक की अवधि तक लम्बित थे।

काष्ठ लेखे में जानकारियॉ जैसे कि उत्पाद का प्रारम्भिक शेष, इसके प्राप्त होने का समय, माह के दौरान निर्वर्तित मात्रा, लम्बित अवशेष मात्रा इत्यादि सम्मिलित होती हैं जो वन मण्डल अधिकारी द्वारा विदोहित के साथ साथ वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज के प्राप्ति तथा निर्वतन पर निगरानी हेतु महत्वपूर्ण है। यह कूप से काष्ठागार के मध्य काष्ठ के किसी कमी को ज्ञात करने में सहायक होगा। वन मण्डल अधिकारी मासिक आधार पर इसे वन संरक्षक को प्रस्तुत करते है जो इसे मुख्य वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

हमने 18 में से 15[21] वन मण्डलों में देखा कि काष्ठ लेखे समय से नही बनाये जा रहे थे तथा मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 217, जो प्रावधान करता है कि मासिक काष्ठ लेखा प्रपत्र 20 अ में परिक्षेत्रों तथा विक्रय काष्ठागारों में तैयार कर वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है, के प्रतिकूल तीन माह से 38 वर्ष 11 माह तक की अवधि विस्तार में लम्बित[22] थे। वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर ने बताया कि इनके वन मण्डल के लेखे 1976 के उपरान्त नही तैयार किये गये, जबकि वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) खण्डवा ने बताया कि काष्ठ लेखा 1997 के उपरान्त तैयार नही किये गये हैं। यद्यपि, दोनो वन मण्डल अधिकारी इनक काष्ठ लेखों को भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही कर पाये।

आगे, चार वन मण्डलों[23] में, काष्ठ लेखे अपूर्ण थे जैसा कि इनमें निस्तार काष्ठागारों या परिक्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारियॉ शामिल नही थीं। इसके अतिरिक्त, मासिक काष्ठ लेखा के स्थान पर डिण्डोरी (उत्पादन) तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण (सामान्य) में छःमाही आधार पर तथा कटनी (सामान्य) में वार्षिक आधार पर काष्ठ लेखे तैयार किये गये। इस प्रकार, विदोहित के साथ साथ वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज के प्राप्ति तथा निर्वतन पर निगरानी सुनिश्चित नही किया गया जैसा कि कंडिका 8.2.18 से दृष्टिगत है जिसमें यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में काष्ठ अनिर्वर्तित शेष थी।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि काष्ठ लेखे का समय से बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

21 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), बेतुल उत्तर (उ), देवास (सा), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

22 सम्बन्धित वन मण्डलो के लेखापरीक्षा के अंतिम दिन की स्थिति में

23 सीहोर (सा), ग्वालियर (सा), सिंगरौली (सा) तथा सीधी (सा)

वनोपज का पुनर्मापन/भौतिक सत्यापन में कमी

8.2.20 कूप से प्रेषित वनोपज में कमी के कारण हानि

कूप से प्रेषित वनोपज का काष्ठागार में परिवहन पर कमी पायी गयी, परिणामतः ₹ 1.42 करोड़ की हानि हुई।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने निर्देशित किया (मार्च 2003) कि कूप में मापन के समय विभिन्न गोलाई वर्ग के लिए सूखत तथा अन्य कारणों हेतु छूट, जैसा कि मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देशों (अक्टूबर 1997) में दिया गया है, के प्रावधान किया जाना चाहिए तथा काष्ठागार में पुनर्मापन के दौरान छूट के कोई प्रावधान उपलब्ध नही है तथा यदि कोई कमी पायी गयी तो, कूप प्रभारी से उसकी वसूली किया जायेगा।

8.2.20.1 हमने 12 में आठ वन मण्डलों[24] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान, 127 कूपों से 24084.244 घ.मी. काष्ठ प्रेषित किया गया। काष्ठागार में पुनर्मापन पर, 23527.555 घ.मी. काष्ठ पाया गया। इस प्रकार, 556.689 घ.मी. काष्ठ की कमी हुई। यह ₹ 1.17 करोड़ के हानि में परिणित हुआ (परिषिष्ट XXX)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), मंडला (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि कूप में मापन अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा उबड़–खाबड़ भूमि पर किया गया तथा इसी कारण त्रुटि हुई, विदोहन एवं संग्रहण व्यय की वसूली कूप प्रभारी से की जा रही थी। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर में विदोहन एवं संग्रहण व्यय की वसूली का कथन स्वीकार्य नही है क्योंकि काष्ठ के मात्रा में कमी की राशि की वसूली नही किया गया।

8.2.20.2 हमने चार वन मण्डलो[25] के कूप समाधान पत्रक तथा विदोहन प्रगति प्रतिवेदन से देखा कि 2475 घ.मी. काष्ठ, 955 जलाऊ चट्टे तथा 29.039 नोश्नल टन बांस का उत्पादन हुआ, जिसके विरूद्ध 2418 घ.मी. काष्ठ तथा 12.742 नोश्नल टन बांस का परिवहन काष्ठागार में किया गया। वनोपज की अवशेष मात्रा का न तो परिवहन किया गया न ही सम्बन्धित कूपों में उपलब्ध था। वनोपज की अनुपलब्धता के कारण विभाग को ₹ 25.55 लाख की हानि हुई।

शासन ने डिण्डोरी (उत्पादन) के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि समस्त उत्पाद का काष्ठागार में परिवहन किया जा चुका है। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। उत्तर सत्य नही है क्योकि अभिलेखो से ज्ञात होता है कि परिवहन अभी तक पूर्ण नही किया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि काष्ठागार में पुनर्मापन के समय वनोपज में कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा इस प्रकार के हानियों हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों से वसूली किया जायेगा।

---

[24] सीहोर (सा), खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

[25] सीहोर (सा), खण्डवा (उ), सीधी (सा) तथा डिण्डोरी (उ)

8.2.21 राजसात वनोपज में कमी के कारण हानि

अवैध कटाई में अभिगृहित वनोपज के काष्ठागार में परिवहन पर कमी पाई गई, ₹ 64.80 लाख के हानि में परिणित हुई।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (फरवरी 2004) कि वन अधिकारी, उनके नियंत्रण के क्षेत्र में सुरक्षा हेतु उनके द्वारा निर्वहित कर्तव्यों के अनुरूप, अवैध कटाई से किसी हानि के उत्तरदायी होंगे। विभाग में हानि की गणना, राजसात काष्ठ के मूल्य में से अवैध कटाई के वृक्ष के अनुमानित मूल्य को घटा कर किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने काष्ठागार में प्राप्त पी.ओ.आर. सामग्री के आयतन में कमी देखा (जनवरी 2005) तथा अनुदेश दिया कि मिलान के उपरान्त कमी के वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

हमने 12 में से सात वन मण्डलो[26] के राजसात काष्ठ के परिवहन से सम्बन्धित अभिलेखों से देखा कि अवधि 2010 से 2015 के दौरान, वन अपराध प्रकरणों में कुल 1317.532 घ.मी. सामग्री अभिगृहित तथा वन मण्डल के विक्रय काष्ठागारों में परिवहन किया गया, जिसके काष्ठागारों में पुनर्मापन में 309.297 घ.मी. की कमी देखी गई। इस प्रकार, काष्ठागार में प्राप्त सामग्री में 23.48 प्रतिशत की कमी हुई, ₹ 64.80 लाख के हानि की कम आंकलन में परिणित हुआ जिसकी वसूली सम्बन्धित पदाधिकारियों से नही की गई (**परिषिष्ट XXXI**)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि आयतन में कमी सूखत, परिवहन में विलम्ब तथा अपराध स्थल पर काष्ठ का माप छाल के साथ लिये जाने जबकि काष्ठागार में माप छाल हटा कर लिये जाने के कारण हुआ। अन्य दो वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। तथ्य वही बना रहा कि काष्ठागार में प्राप्त सामग्री में कमी हुई तथा काष्ठ के अपराध स्थल पर मापन विधि में परिवर्तन वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नही है।

8.2.22 वनोपज की भौतिक सत्यापन में पायी गयी कमी से हानि

निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की राशि ₹ 30.84 लाख की भौतिक सत्यापन में पायी गयी कमी की वसूली नही किया गया।

हमने 18 में छः वन मण्डलो[27] में देखा कि वन प्राधिकारियों के द्वारा अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान किये गये भौतिक सत्यापनो में 52397 नग बांस, 2806 नग बल्ली तथा 863.05 जलाऊ चट्टे की कमी पायी गयी। जिसकी कुल कीमत ₹ 27.85 लाख है।

आगे, अवधि 2008–14 के दौरान, लोक निर्माण विभाग/ पुलिस विभाग तथा नगर पालिका निगम को वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) सीहोर तथा ग्वालियर द्वारा अवरोधक कार्य के लिए प्रदान किये गये राशि 2.99 लाख के 6177 बांस तथा 1213 बल्लीयॉ वापस प्राप्त नही हुई। इस प्रकार, वनोपज में कमी ₹ 30.84 लाख की हानि में परिणित हुई (**परिषिष्ट XXXII**)।

इन हानि प्रकरणों को विभागाध्यक्ष/महालेखाकार अनुपालन कार्य जैसे हानि के कारणों का स्पष्टीकरण, परिस्थितियॉ जिसमें हानि हुई तथा भविष्य में हानि से बचाव हेतु निवारक उपाय हेतु को प्रतिवेदित किया जाना नही पाया गया। यह मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 22(1) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधानित है कि कोई हानि

---

[26] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, देवास तथा सीधी, वन मण्डल अधिकारी (उ), खण्डवा, मण्डला, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

[27] सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा) खण्डवा (सा), सिंगरौली (सा), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा) तथा कटनी (सा)

विभागाध्यक्ष के साथ साथ महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए तथा जॉच उपरान्त, वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किया चाहिए।

शासन ने सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के सन्दर्भ में बताया गया (नवम्बर 2015) कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त हानि की वसूली की जायेगी। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। यद्यपि, प्रमुख सचिव ने भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी के प्रकरण को गंभीरता से लिया तथा निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जायेगी।

कार्य आयोजना का क्रियान्वयन

8.2.23 कम/विदोहन नही होने के कारण राजस्व की प्राप्ति नही होना

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (अप्रैल 2004) कि कूप के चिन्हांकन, चिन्हांकित वृक्षों की संख्या, वृक्षों के वर्गीकरण की गुणवत्ता तथा कूपों में अनाभिलेखित अवैध कटाई के वृक्ष के सम्बन्ध में किसी असहमति के प्रकरण में, सामान्य एवं उत्पादन वन मण्डल के वन मण्डल अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। आगे, यह निर्देशित किया (नवम्बर 2004) कि कार्य आयोजना में दिये गये विभिन्न कार्य वृत्तों के कूपों के कार्यो का क्रियान्वयन किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कूप में विदोहन लाभकारी नही है तो, चिन्हांकित वृक्षों का पातन वन वर्धनिक दृष्टि से किया जायेगा जिसके उपरान्त पुनरूत्पादन के कार्य अनिवार्यतः किया जायेगा तथा कूप किसी भी दशा में अपलेखित नही किया जायेगा।

विदोहन वर्ष[28] 2010–11 से 2014–15 के दौरान, प्रदेश में 7,40,286.557 हेक्टेयर में विदोहन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के विरूद्ध 7,20,049. 343 हेक्टेयर में विदोहन किया गया। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि दौरान 1,04,36,188 चिन्हांकित वृक्षों के विरूद्ध 96,67,876 वृक्षों का पातन किया गया। इस प्रकार, 20,237. 214 हेक्टेयर कम क्षेत्र में उपचार तथा 7,68,312 चिन्हांकित वृक्षों का कम पातन किया गया।

हमारे द्वारा निम्नलिखित कमियॉ पायी गई :

8.2.23.1 ग्यारह में से पॉच वन मण्डलों[29] में, 50 कूपों के 6189.900 हेक्टेयर में चिन्हांकन एवं विदोहन नही किया गया जैसा कि विभाग अतिक्रमण रोकने तथा वृक्षों को डूबने से पूर्व पातन सुनिश्चित करने में विफल रहा। यह वनों के प्रबन्धन में कमी दर्शाता है, राशि ₹ 8.34 करोड़ के वनोपज के अनुमानित[30] अनुत्पादन में परिणित हुआ।

प्रमुख सचिव ने कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में कमियों को स्वीकार करते हुए, निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि कार्य आयोजना बनाते समय, यद्यपि कुछ कूप कार्य आयोजना में सम्मिलित थे, जबकि क्रियान्वयन के समय, वृक्षों के उपलब्धता के अनुसार चिन्हांकन किया गया।

---

28 विदोहन चक्र में अक्टूबर में प्रारम्भ होकर सितम्बर तक जारी रहता है

29 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा) खण्डवा (सा), खण्डवा (उ) तथा सिंगरौली (सा)

30 लेखापरीक्षा द्वारा अनुमान की गणना वन मण्डलवार, अन्य कूपों में जहॉ पातन किया गया था के सम्बन्धित वर्ष में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन पर आधारित है (3089.856 घ.मी. ईमारती, 1525.70 घ.मी. अरकाट तथा 3837.487 जलाऊ चट्टे)

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कूपों का चिन्हांकन नही किया गया, तथा जिसके कारण, वृक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित नही किया जा सकता था।

8.2.23.2 ग्वालियर (सामान्य) वन मण्डल के अवधि 2005–2015 के कार्य आयोजना में प्रत्येक वर्ष 10 सुधार कार्यवृत्त[31] के 10 कूपों के उपचार के प्रावधानित था। भारत सरकार ने भी इन कूपों में विदोहन हेतु क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन कूपों में चिन्हांकन एवं विदोहन नही किया गया। इस प्रकार, शासन राजस्व से वंचित रहा।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.23.3 सीधी (सामान्य) वन मण्डल की कार्य आयोजना अवधि 2000–10 हेतु अनुमोदित थी। कार्य आयोजना में 2010–11 के प्रावधानित कार्यो के कार्यान्वयन हेतु अनुमति प्राप्त हुई (मार्च 2010) तथा अवधि 2012–22 हेतु आगामी कार्य आयोजना भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2013 में अनुमोदित हुई। इस प्रकार, वर्ष 2011–12 में विदोहन नही किया गया, परिणामतः राशि ₹ 10.53 करोड़ के काष्ठ के विदोहन[32] नही हुआ।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.23.4 12 में से चार वन मण्डलो[33] में, विभाग द्वारा 20 कूपों के 9645 चिन्हांकित वृक्षों का पातन नही किया गया। इसके कारण 2151.458 घ.मी. काष्ठ तथा 2134.308 जलाऊ चट्टों का कम उत्पादन हुआ, परिणामतः राशि ₹ 4.81 करोड़ का राजस्व अप्राप्त रहा।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों का पातन नही किया गया तथा इसके सम्बन्ध में सामान्य वन मण्डल को सूचित किया गया (अप्रैल 2011) था। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष होने के दावे की पुष्टि हेतु सामान्य वन मण्डल के साथ संयुक्त निरीक्षण नही किया गया।

8.2.23.5 सीहोर तथा कटनी सामान्य वन मण्डलो में, अवधि 2009–10 से 2013–14 के दौरान, विदोहन हेतु बकाया बांस के 36 कूपों की बिना किसी कारण के उल्लेख किये विदोहन नही किया गया। यह राशि ₹ 18.79 लाख के 188.524 नोश्नल टन व्यापारिक तथा 25.823 नोश्नल टन औद्योगिक बांस के विदोहन किये जाने में परिणित हुआ।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि वन संसाधन से महत्तम राजस्व क्षमता को प्राप्त करने तथा साथ ही वन वर्धनिक गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता को बनाये रखने के उद्देष्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाये।

---

31 सुधार कार्यवृत्त में, अन्य वृक्षों के वृद्धि हेतु कुविकसित वृक्षों का पातन कर स्थान प्रदान किया जाता है

32 2010–11 तथा 2012–13 में औसत उत्पादन 4765.422 घ.मी. काष्ठ तथा जलाऊ चट्टे है

33 सिंगरौली (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ) तथा बालाघाट उत्तर (उ)

8.2.24 स्वीकृति के शर्तो का पालन नही किया जाना

कार्य आयोजना का कार्यान्वयन करते समय, वन मण्डल अधिकारियों ने अवैध कटाई तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई को समायोजित नही किया गया, जो सम्बन्धित वर्ष हेतु अधिक विदोहन में परिणित हुआ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक अनुमति में अपेक्षित था कि मृत, मृतप्राय एवं रोगग्रस्त वृक्षों का पातन, अधिकार एवं छूट प्रदान हेतु, अवैध कटाई तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित अनिवार्य कटाई सहित सभी प्रकार के पातन को सम्बन्धित वर्ष हेतु प्रावधानित उत्पादन के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

हमने 11 में छः सामान्य वन मण्डलो[34] में देखा कि 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान 24702.73 घ.मी. काष्ठ, 10521 बल्ली तथा 20672.85 जलाऊ चट्टे के उत्पादन का अनुमानित कर विदोहन किया किया गया। इस अवधि के दौरान, विभाग ने वन अपराध प्रकरणों में 2840.79 घ.मी. काष्ठ अभिगृहित किया तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई में 8055.805 घ.मी. काष्ठ उत्पादन किया। इस प्रकार, कुल 10896.59 घ.मी. काष्ठ की मात्रा को, भारत सरकार द्वारा दिये गये स्वीकृति के क्रियान्वयन के समय समायोजित नही किया गया। यह अधिक कटाई तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान दिये बिना ₹ 22.83 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया **(परिशिष्ट XXXIII)**।

शासन ने सीधी (सामान्य) वन मण्डल के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2014–15 के दौरान, वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई के एवज् में 84.342 हेक्टेयर क्षेत्र के एक कूप का विदोहन नहीं किया गया तथा अवशेष क्षेत्र में विदोहन नहीं करने को 2018–19 तक समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य छः वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कटाई को सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित किया जाना था। यद्यपि, उत्तर प्रावधानित विदोहन में अभिगृहित सामग्री को समायोजित किये जाने के संदर्भ में मौन है।

8.2.25 प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन

कार्य आयोजना में प्रावधानित प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन, अधिक विदोहन तथा सम्बन्धित राषि ₹ 8.69 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में परिणित हुआ।

कार्य आयोजना, वृक्षों से महत्तम काष्ठ आयतन प्राप्त करने तथा वनस्पतियों के विभिन्न आयु वर्गो में विविधता करने हेतु प्रवरण–सह–सुधार[35] कार्यवृत्तो में परिपक्व वृक्षों का पातन प्रावधानित करते हैं। इसके लिए, कुछ कसौटियों यथा जलवायु क्षेत्र तथा प्रजातियों, इत्यादि के प्रयोग से निष्कर्शित प्रवरण गोलाई का निर्धारण कार्य आयोजना करता है। मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त के प्रकरणों को छोड़कर प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन प्रतिबन्धित है।

हमने 12 में से 10 वन मण्डलों[36] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, 131 प्रवरण–सह–सुधार कूपों में साल, सागौन तथा अन्य प्रजातियों के 104704 वृक्षों

---

[34] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, सिंगरौली, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

[35] प्रवरण सह सुधार कूपों में चयनित परिपक्व के साथ–साथ कुविकसित वृक्षों का पातन किया जाता है

[36] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

का पातन किया गया। इन पातित वृक्षों में से, 68940 (65 प्रतिशत) उनके लिए निर्धारित प्रवरण गोलाई से कम के थे। चिन्हांकन पुस्तिका में इन वृक्षों के मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त होने का उल्लेख नही था। अपरिपक्व वृक्षों का पातन, उन्हे आगे विकास का अवसर नही दी तथा इस प्रकार, महत्तम काष्ठ प्राप्त नही किया जा सका। कार्य आयोजनाओं में प्रतिबन्धित वृक्षों का पातन, अधिक पातन तथा सम्बन्धित राजस्व राशि ₹ 8.69 करोड़ के प्राप्ति में परिणित हुआ (**परिषिष्ट XXXIV**)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि प्रवरण गोलाई से कम के मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त वृक्षों का पातन किया गया तथा हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में शासन ने बताया कि प्रवरण गोलाई से कम के वृक्ष विरलन प्रदान करने हेतु काटे गये। शासन ने मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया कि प्रवरण गोलाई से कम के अधिकांश वृक्ष या तो अर्द्ध ईमारती या जलाऊ श्रेणी के थे।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि चिन्हांकन पुस्तिका इन वृक्षों का मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त होना नही दर्शाती है तथा तथ्य कि इतनी बड़ी संख्या में (65 प्रतिशत) वृक्ष कुविकसित थे, भी स्वीकार्य नही है। हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कार्य आयोजना में विरलन हेतु प्रवरण गोलाई से कम के वृक्ष के पातन का कोई प्रावधान नही हैं। मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कसौटी में का प्रावधान नही है कि यदि वृक्ष प्रवरण गोलाई से कम के है तो अर्द्ध ईमारती तथा जलाऊ श्रेणी के वृक्षों के पातन किये जायेंगे।

वनोपज का परिवहन

8.2.26 परिवहन ठेकेदारों से सुरक्षा निधि की अप्राप्ति

वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन ठेकों में, ठेकेदारों से सुरक्षा निधि की राषि ₹ 1.51 करोड़ प्राप्त नही किये गये।

वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन ठेकों के अनुबन्ध के शर्त 6 प्रावधान करता है कि ठेकेदार, ठेके के नियमों एवं शर्तो के निर्वहन एवं अनुपालन के प्रतिभूति के रूप में परिवहन ठेके की कुल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मांग पर जमा/सावधि जमा/किसी अनुसूचित बैंक का बैंक प्रतिभूति के रूप में सुरक्षा निधि प्रदान करेगा।

हमने 12 में से नौ वन मण्डलो[37] के परिवहन ठेके के 341 अनुबन्धों में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, ठेकेदारों द्वारा राशि 1.51 करोड़ की सुरक्षा निधि प्रदान नही किया गया, फिर भी कार्य प्रदान किया गया तथा कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया, ठेका अनुबन्ध के शर्तो का अनुपालन नही करने तथा ठेके के अवधि के लिए ठेकेदार को अनुचित मौद्रिक लाभ में परिणित हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि सीधी (सामान्य) तथा डिण्डोरी (उत्पादन) के संदर्भ में, 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि ठेकेदारों के चलित देयकों से कटौती की गई तथा छिन्दवाड़ा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) वन मण्डलो के संदर्भ में, सुरक्षा निधि वसूल की जा चुकी थी। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

[37] खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ)

सीधी (सामान्य) तथा डिण्डोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि अनुबन्ध के शर्त में सुरक्षा निधि कार्य प्रारम्भ करने के समय वसूल किये जाने का प्रावधान था तथा किस्तों में चलित देयकों के माध्यम से नही। आगे, अनुबन्ध के शर्त 6 के अनुसार, सुरक्षा निधि संग्रहण का उद्देश्य ठेके के शर्तो के अनुपालन हेतु प्रतिभूति के रूप में लिये जाने का था, जो यदि किस्तों में चलित देयको के माध्यम से कटौती की जाये तो सुनिश्चित नही की जा सकती। छिन्दवाड़ा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि सुरक्षा निधि अग्रिम में वसूल नही किया गया था।

8.2.27 परिवहन अनुज्ञा पत्र के लेखे का संधारण नही होना

व्यक्तियों, जिन्हें परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाओं जारी की गई थी, परिवहन अनुज्ञा पत्रों के मासिक लेखे प्राप्त नही किये जा रहे थे।

हमने 18 वन मण्डलो में से 15 वन मण्डलो[38] में देखा कि परिक्षेत्र अधिकारियों, उप वन मण्डल अधिकारियों, काष्ठागार अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिन्हें परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाएं प्रदान की गई थीं, से परिवहन अनुज्ञा पत्रों के मासिक लेखे प्राप्त नही किये जा रहे थे, जो परिवहन (वन उपज) नियम 2000 के नियम 10(1) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति, जिसे परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाओ की आपूर्ति की गई है वन मण्डल अधिकारी को उसको जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्रों से निकाले गये वनोपज का मासिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

इसके अतिरिक्त, आठ वन मण्डलो[39] में परिवहन अनुज्ञा पत्र के प्रतिपर्णो का वापस किये जाने की प्रविष्टी परिवहन अनुज्ञा पत्र पंजी में नही पायी गई, जो नियम 10(2) के प्रतिकूल था जिसमें प्रावधान है कि सभी प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त प्रतिपर्णो, यदि कोई है, को उस अधिकारी, जिससे अनुज्ञा पत्रों की पुस्तिका प्राप्त की गई थी, को वापस किया जायेगा। इस प्रकार, परिवहन अनुज्ञा पत्रों के लेखे के अनुपस्थिति में, वनोपज जो निकाले गये का वास्तविक निकाले एवं परिवहित से प्रतिसत्यापन किया जाना सुनिष्चित नही किया जा सका। साथ ही, यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि आवश्यक परिवहन शुल्क जमा किया गया है अथवा नही।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि परिवहन अनुज्ञा पत्र के लेखे का समय से तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

8.2.28 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य विधियों, नियमों तथा विभागीय अनुदेशों के उपयुक्त प्रवर्तन के लिए युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करना है। यह जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं के रोकथाम तथा संसूचना में सहायक होता है। आंतरिक नियंत्रण, त्वरित तथा दक्ष सेवा तथा शासकीय राजस्व के वंचन के विरूद्ध उपयुक्त सुरक्षा हेतु विश्वसनीय वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली निर्माण में सहायक होता है।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, विभाग द्वारा किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा का वर्षवार विभाजन तालिका–8.3 में दिया गया है:

---

[38] सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उ), ग्वालियर (सा), देवास (सा), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ) तथा कटनी (सा)

[39] सीधी (सा), खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ)

तालिका– 8.3

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु चयनित वन मण्डलो की संख्या	लेखा परीक्षित वन मण्डलो की संख्या	कमी प्रतिषत में	निर्मित कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या
2010–11	72	52	28	431	274	157
2011–12	66	47	29	647	341	306
2012–13	42	42	0	604	87	517
2013–14	62	15	76	132	32	100
2014–15	47	22	53	287	0	287
योग	**289**	**178**		**2101**	**734**	**1367**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षित वन मण्डलों के आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी थी, जो शून्य से 76 प्रतिशत तक विचलित थी। लेखापरीक्षा हेतु वन मण्डलो के चयन के मानदण्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2015 को, निराकरण हेतु अवधि 2010–11 से 2014–15 सम्बन्धित, 1367 कंडिकाएं (कुल कंडिकाओं का 65 प्रतिशत) लम्बित थीं, जो आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति संवेदनशीलता में कमी को प्रदर्शित करता है।

8.2.29 विभाग के प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

हमने 10 वन मण्डलो में से आठ वन मण्डलो[40] में देखा कि विभाग द्वारा काष्ठागार में 'काष्ठ एवं बांस का राजकीय व्यापार' शीर्ष के अन्तर्गत वनोपज के विक्रय से प्राप्त मूल्य संवर्धन कर (वैट) को वन प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0406 'वानिकी तथा वन्यजीव' में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार, पॉच वर्षो हेतु वास्तविक प्राप्तियों ₹ 251.58 करोड़ में इन वर्षो के दौरान वैट के एवज में प्राप्तियॉ भी सम्मिलित है।

आगे, इस प्रकार प्राप्त वैट को, मुख्य शीर्ष 2406, उप शीर्ष 0058– करों तथा रायल्टी का भुगतान के अन्तर्गत बजट आवंटन प्राप्त कर वाणिज्यिक कर विभाग को मुख्य शीर्ष 0040 'विक्रय व्यापार पर कर' में भुगतान किया गया, इस प्रकार, वैट भुगतान पर ₹ 254.07 करोड़[41] का व्यय किया गया। इसका प्रभाव विभाग के मात्र वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय के अत्युक्ति में ही नही पड़ा, अपितु बजट अनुमानों के बनाये जाने की प्रक्रिया को भी अवास्तविक बनाया।

प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि व्यवस्था में संशोधन किया जायेगा।

लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट तथा इसके भुगतान के तंत्र को सुप्रवाही बनाया जाना चाहिए।

---

[40] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, सिंगरौली, सीधी तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर, हरदा

[41] अन्तर विभिन्न कारणो यथा सम्बन्धित वर्ष में बजट आवंटन की अनुपलब्धता तथा बाद में आगामी वर्ष में जमा करना, इत्यादि पर आरोपणीय है

8.2.30 शासकीय लेखे में राजस्व का विलम्ब से समायोजन

राशि ₹ 8.50 करोड़ की वन प्राप्तियाँ शासकीय लेखे में पाँच से 157 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया।

हमने 19 में से 11 वन मण्डलो[42] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, 670 प्रकरणों में काष्ठ के नीलाम के परिणाम स्वरूप, व्यापारियो से पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त ₹ 8.50 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति दिनांक से पाँच से 157 दिनों के विलम्ब के उपरान्त शासकीय लेखे में समायोजित किये गये जैसा कि **तालिका–8.4** में विस्तृत किया गया है। यह मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 11 वी.बी. के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधान है कि निजी व्यक्ति से शासकीय राजस्व के एवज् प्राप्त किसी धनादेश या बैंक ड्राफ्ट की प्रविष्टि रोकड़ बही में किया जाना चाहिए तथा बैंक/कोषालय में बिना किसी विलम्ब के प्रेषित किया जाना चाहिए।

तालिका–8.4

विलम्ब दिनों में	प्रकरणो की संख्या	विलम्ब से जमा की गई राषि (₹ लाख में)
5 से 25	422	840.76
26 से 50	82	6.97
51 से 157	166	1.92
योग	**670**	**849.65**

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि नीलामी की अधिक आवृत्ति, कर्मचारियों की कमी, सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश तथा शासकीय अवकाश के कारण विलम्ब हुआ। अन्य पाँच वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। तथ्य वही बना रहा कि शासन प्रेषण में विलम्ब की अवधि में राजस्व से वंचित रहा।

8.2.31 प्रेषणों का मिलान नही होना

कोषालय अभिलेखों से राशि ₹ 3.23 करोड़ के प्रेषणों का मिलान 49 वर्ष तक से लम्बित था।

हमने लेखापरीक्षित 19 में से 14 वन मण्डलों में देखा कि मासिक आधार पर मिलान नही किया जा रहा था जैसा कि इन वन मण्डलों में मिलान एक से 38 माह तक मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुपूरक नियम 505 के विरूद्ध लम्बित था, जो प्रावधानित करता है कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा कोषालय में प्रेषित राजस्व का मिलान आगामी माह में पूर्ण कर लेना चाहिए।

आगे, नौ वन मण्डलो के मिलान किये गये लेखो के 234 प्रकरणों से दिखा कि अवधि 1966–67 से 2014–15 तक की राशि ₹ 79.73 लाख लेखे में सम्मिलित किया गया किन्तु वह कोषालय अभिलेखों[43] में उपलब्ध नही था। इस प्रकार, गंभीर अनियमितताओं यथा जालसाजी, दुरूपयोग इत्यादि की सम्भावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता है। इसी प्रकार, 466 प्रकरणों में राशि ₹ 2.43 करोड़ कोषालय अभिलेखों में सम्बन्धित वन मण्डल के प्राप्तियों के रूप में दिखा, किन्तु वह 11 वन मण्डलो के लेखों में सम्मिलित नही किया गया। यह उस सीमा तक विभाग के राजस्व प्राप्ति के न्यूनोक्ति में परिणित हो सकता है।

[42] सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उत्पादन), देवास (सा), सीधी (सा) मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

[43] सम्बन्धित वन मण्डलो के लेखापरीक्षा के अंतिम दिन तक

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि कोषालय के पक्ष में विलम्ब था, यद्यपि, कोषालय के साथ चर्चा करके मिलान प्रक्रिया तीव्र की जायेगी।

8.2.32 पंजीकृत विनिर्माताओं, व्यापारियों, इत्यादि से विवरणी प्राप्त नही किया जाना

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नही कर रहे थे, फिर भी उनके पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा रहा था।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (मार्च 2011) कि उन विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के पंजीकरण का नवीनीकरण नही किया जाये, जो नियमित विवरणी प्रस्तुत नही कर रहे हैं। उपलब्ध कराई गई विवरणी वन विभाग को यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि क्रय काष्ठ तथा उसके उपरान्त उसका उपभोग वैध है तथा वन विभाग के अनुमति के अनुसार है।

हमने 11 में सात सामान्य वन मण्डलो[44] में देखा कि कैलेण्डर वर्ष 2014 में पंजीकृत विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के 791 पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया। 13 आरा मशीन मालिकों को छोड़कर, किन्ही भी विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं ने त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नही किया। नवीनीकरण मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम 7 (4) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधान है कि सभी विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता अपने लेखे की विवरणी वन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी प्राप्त करने के लिए अनुदेश परिक्षेत्र अधिकरियों को जारी किये गये ।

हम अनुषंसा करते हैं कि काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को नियमित तैयार करके/आवष्यक अभिलेख प्राप्त करके तथा प्रेषणो का नियमित मिलान कर निगरानी तथा पर्यवेक्षण के व्यवस्था को सशक्त किया जाये।

8.2.33 हस्तन व्यय का पुनरीक्षण नही किया जाना

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय मार्च 2007 से पुनरीक्षित नही हुआ, जबकि मजदूरी दर इस अवधि में बहुत बढ़ गया।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निजी उत्पादको से काष्ठ के हस्तन व्यय के दर को बिना किसी विश्लेषण के ₹ 250 से घटा कर ₹ 100 प्रति घ.मी. कर दिया (मार्च 2007)। निजी उत्पादक अपने भूमि से वनोपज विदोहित करने वाले भूमि स्वामी हैं। निजी भूमि से विदोहित वनोपज या तो विभाग द्वारा इन उत्पादकों को एक मुश्त भुगतान कर अधिग्रहित किया जाता है या विभाग वनोपज संग्रहण करता है, इसे विक्रय करता है तथा उसके उपरान्त भुगतान करता है। इन गतिविधियों के निष्पादन हेतु हस्तन व्यय लिया जाता है।

हमने 10 में नौ वन मण्डलो[45] में देखा कि मार्च 2007 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान मजदूरी दर 139 से 175 प्रतिशत तक बढ़ गई, किन्तु निजी वनोपज विक्रेताओं पर अधिरोपित हस्तन व्यय वही बना रहा। इस प्रकार, निजी उत्पादकों को प्रदान सेवा पर किये गये वास्तविक व्यय को, विभाग द्वारा अधिरोपित हस्तन व्यय से आच्छादित नही होने की सम्भावना है।

---

44 सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

45 सीहोर (सा), खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि निर्धारित दर से वसूली की जा रही थी तथा हस्तन व्यय का पुनरीक्षण शासन द्वारा किया जा था।

हम अनुशंसा करते हैं कि निजी उत्पादको पर अधिरोपित हस्तन व्यय का आवधिक पुनरीक्षण किया जाये।

8.2.34 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

- वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

अनुशंसाः खनिज विभाग के साथ वन भूमि से उत्खनित तथा परिवहित मात्रा के मिलान के तंत्र को सशक्त करने पर विभाग विचार कर सकता है।

- न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई तथा नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

अनुशंसाः वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज में क्षय से होने वाले हानि से बचने हेतु, न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर वनोपज का निर्वर्तन अतिशीघ्र करना चाहिए तथा नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई–नीलामी तंत्र का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- कूप से प्रेषित तथा वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज काष्ठाागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

अनुशंसाः काष्ठागार में पुनर्मापन के समय वनोपज में कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा इस प्रकार के हानियों हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों से वसूली पर विभाग विचार कर सकता है।

- कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

अनुशंसाः वन संसाधन से महत्तम राजस्व क्षमता को प्राप्त करने तथा साथ ही वन वर्धनिक गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों को कड़ाई से क्रियान्वित किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

अनुशंसाः लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट तथा इसके भुगतान के तंत्र को सुप्रवाही बनाये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी जैसा कि काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणों का नियमित मिलान करने में कमियाँ थीं।

अनुशंसाः काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को नियमित तैयार करके/आवश्यक अभिलेख प्राप्त करके तथा प्रेषणो का नियमित मिलान कर निगरानी तथा पर्यवेक्षण के व्यवस्था को सशक्त किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर का पुनरीक्षण अंतिम बार मार्च 2007 में किया गया तथा तबसे पुनरीक्षित नही हुआ।

अनुशंसाः निजी उत्पादको पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर का आवधिक पुनरीक्षण किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

भोपाल
दिनांक 19 फरवरी 2016

(दीपक कपूर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 22 फरवरी 2016

(शशि कान्त शर्मा)
(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)